

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग २, दिनांक २१ जून, १९७६ के पृष्ठ क्रमांक ७२७ में प्रकाशित :-

मौपाल, दिनांक २ अप्रैल, १९७६ ।

क्रमांक २१२-अटारह-एक --- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सम् १९६१), की धारा ३५७ की उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, राजनांदगांव जिले की राजनांदगांव नगरपालिका द्वारा उक्त अधिनियम की धारा २८३ की उपधारा (१) के खण्ड (ड), धारा ३४६ की मद (एक) तथा ३५७ की उपधारा (५) के साथ पठित धारा ३५८ की उपधारा (८) के खण्ड (ग) की मद (चार) के अधीन बनाई गई उपविधियों को जो उक्त अधिनियम की धारा ३५७ की उपधारा (४) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित की जा चुकी है, पुष्टि करता है, अर्थात् :-

उपविधियाँ

१- (१) ये उपविधियाँ राजनांदगांव नगरपालिका पेट्रोल पंप, डीजल पंप, कुड जायल पंप (स्थान अनुज्ञापन) उपविधियाँ, १९७६ कहलायेंगी ।

(२) इनका विस्तार संपूर्ण नगरपालिका पर होगा ।

(३) ये उनके " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगी ।

२- इन उपविधियों के प्रारंभ होने से राजनांदगांव नगरपालिका में प्रवृत्त इन उपविधियों के तत्स्थानी के समस्त नियम आदेश तथा उपविधियाँ, जो इन उपविधियों के प्रारंभ होने के अन्वयहित पूर्व प्रवृत्त हों, निरस्त हो जायेंगे :

परंतु इस प्रकार निरस्त किन्हीं नियमों, आदेशों तथा उपविधियों के अधीन की गई बात या कोई कार्यवाही, जब तक कि वह इन उपविधियों के उपबंधों से असंगत न हो, इन उपविधियों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई सम्पत्ति जायेगी ।

३- इन उपविधियों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) " मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी " से अभिप्रेत है नगरपालिका परिषद्, राजनांदगांव का मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ;

(ख) " परिषद् " से अभिप्रेत है नगरपालिका परिषद्, राजनांदगांव ;

(ग) " नगरपालिका " से अभिप्रेत है राजनांदगांव नगरपालिका ।

४- कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के अधीन इस संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति के सिवाय या इस प्रकार मंजूर की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों से अन्यथा

५- अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र होने पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इन उपविधियों से संलग्न प्ररूप में अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा या अनिलिखित किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर सकेगा ।

६- इन उपविधियों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के लिये ₹० १०० (एक सौ रुपये) वार्षिक फीस प्रभावित की जायेगी एवं ऐसी फीस स्वामी द्वारा देय होगी ।

७- इन उपविधियों के अधीन एक बार मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, जो निलंबित अथवा रद्द न की गई हो, आवेदन पत्र दिये जाने पर तथा उपविधि ५ में विनिर्दिष्ट फीस का मुगतान किये जाने पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा नवीकृत की जा सकेगी । नवीकरण के लिये आवेदन प्रतिकर्ष १५ मार्च के पूर्व किया जावेगा ।

८- मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इन उपविधियों में उल्लिखित शर्तों में से किसी भी शर्त का मंग होने पर इन उपविधियों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबित कर सकेगा ।

९- उपविधि ७ के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए इन उपविधियों के अधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, उसके मंजूर किये जाने के दिनांक से पश्चात्तवर्ती ३१ मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि के हि विधिमान्य होगी ।

१०- इन उपविधियों के अधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति यदि निरूपित हो जाय, गुम हो जाय या मरुट हो जाय, तो नगरपालिका पदाधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति पांच रुपये फीस का मुगतान किये जाने जारी कर सकेगा ।

११- (१) अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इंकार करने या अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित करने का प्रत्येक आदेश लिखित में अभिलिखित किया जायगा । उसमें ऐसे आदेश के कारणों के स्वरूप संक्षिप्त में अन्तर्विष्ट होंगे । ऐसे आदेश की एक प्रति उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति को निःशुल्क प्रदाय की जावेगी ।

(२) इन उपविधियों के अधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के आदेश से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, उसको आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर, परिषद को अपील कर सकेगा ।

१२- इन उपविधियों के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगी, अर्थात् :-

(क) अनुज्ञप्त स्थान को ————— तरह ————— दशा में तथा

समयों पर, परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से नियुक्ति किये गये परिषद के सदस्य या पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिये सुला रहेगा और अनुज्ञप्तिधारी ऐसे निरीक्षण को सुकर बनायेगा ।

- (ग) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त स्थान में आग बुझाने के लिये आवश्यक उपकरण और सामग्री रखेगा और ऐसी पूर्वावधानियां करेगा जैसा कि परिषद द्वारा आदेशित की जाय ।

टिप्पणी :- परिषद उपविधि ४ में विनिर्दिष्ट कालिक वस्तुओं के हेतु अनुज्ञप्त स्थान में बनाये रखे जाने के लिये उपकरणों तथा साधनों के प्रकारों के विहित कर सकेगी ।

- (घ) अनुज्ञप्ति धारी, अनुज्ञप्त स्थान में विद्युत की व्यवस्था कट्यूट पाइप के माध्यम से करवायेगा ।
- (ङ) अनुज्ञप्तिधारी, आबादी स्थान से १०० मीटर की परिधी के भीतर पेट्रोल पंप, डीजल पंप, कूड जायल पंप स्थापित नहीं करेगा ।
- (च) अनुज्ञप्तिधारी, उस स्थान को, जिसमें ऐसी सामग्री जैसे पेट्रोल पंप, डीजल पंप, कूड जायल पंप स्थापित नहीं करेगा-+ ही, वा (फैसिंग) या पक्की दीवाल द्वारा घेरेगा और वह किसी भी व्यक्ति को ३ मीटर के भीतर निवास करने की अनुज्ञा नहीं देगा :
- (झ) अनुज्ञप्तिधारी, उन अनुज्ञप्त स्थान पर, जो पेट्रोल, डीजल अथवा कूड जायल संग्रहित करने के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जात हो, किसी भी व्यक्ति को झुम्रान करने या उस आग जलाने या किसी प्रदार्थ को जलाने की अनुज्ञा नहीं देगा ।
- (ञ) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त स्थान के सहजदृश्य भाग पर एक ऐसा बोर्ड जिस पर अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा अनुज्ञप्त स्थान में संग्रहित सामग्री के व्यौरों का वर्णन लिखा रहेगा, लगावेगा ।
- १३- इन उपविधियों में से किसी का भी भंग ऐसे जुमाने से जो ५००-रुपये (पांच सौ रुपये) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा, और जब भंग अनिरन्तर- निरंतर प्रकार का हो तो ऐसे जुमाने से, जो प्रथम भंग के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें कि ऐसे भंग का निरंतर होना ही, १ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

क्रमशः

अनुज्ञप्ति का प्रारूप

(उपविधि ४ देखिये)

अनुज्ञप्ति क्रमांक

दिनांक

व्यापार प्रयोजन के लिये राजनांदगांव नगरपालिका की सीमाओं के भीतर पेट्रोल, डीजल, कूड आयात के संग्रह के लिये स्था: के उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति.

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६२ तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और राजनांदगांव नगरपालिका पेट्रोल पंप, डीजल पंप, कूड आयात पंप (स्थान अनुज्ञापन) उपविधियां, १९७६ के अधीन तथा उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए, एतद् द्वारा श्री
----- आत्मज्ञ -----
की ----- रुपये की अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करने पर व्यापार करने के प्रयोजन के लिये उक्त वर्णित उपविधियों की शर्तों के अधीन रहते हुए वाई नं० ----- में स्थित स्थान को पेट्रोल, डीजल, कूड आयात के संग्रहण हेतु उपयोग में लाने के लिये अनुज्ञप्ति किया जाता है।

यह अनुज्ञप्ति दिनांक ----- से किन्नक ----- तक (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए) प्रवृत्त रहेगा।

स्थान :-

मुख्य नगरपालिका अधि
नगरपालिका परिषद
राजनांदगांव।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स० म० देव, उपसचिव
